न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/98 **दायरा दिनांक : 27.07.2021**

उनवान

1 सीताराम आत्मज श्री रामलाल, जाति गुर्जर,
2. भोजराज आत्मज श्री रामलाल, जाति गुर्जर
3. देवलाल आत्मज श्री रामलाल, जाति गुर्जर
निवासीगण ग्राम मालनवासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
4 ग्यारसी बाई पुत्री श्री रामलाल पत्नी श्री दशरथ, जाति गुर्जर निवासी भरतपुर कोडक्या, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज)

अपीलांट्स

बनाम

1 रामकरण आत्मज श्री रामलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मालनवासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज0)
2 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा– सारोलाकला, तहसील खानपुर जिला झालावाड (राज0)
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज0)

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्या 2021/97 **दायरा दिनांक : 27.07.2021**

उनवान

1 सीताराम आत्मज श्री रामलाल, जाति गुर्जर,
2. भोजराज आत्मज श्री रामलाल, जाति गुर्जर
3. देवलाल आत्मज श्री रामलाल, जाति गुर्जर
निवासीगण ग्राम मालनवासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
4 ग्यारसी बाई पुत्री श्री रामलाल पत्नी श्री दशरथ, जाति गुर्जर निवासी भरतपुर कोडक्या, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज)

अपीलांट्स

बनाम

1 रामकरण आत्मज श्री रामलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मालनवासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज0)
2 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा– सारोलाकला, तहसील खानपुर जिला झालावाड (राज0)
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज0)

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ललित नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 27.10.2023**

1 ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2 ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 1112/दावा/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2016 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 31.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

3 दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम मालनवासा पटवार हल्का तहसील खानपुर जिला झालावाड़ के माल में हाल जमाबंदी संख्या नया 136 पुरानी 136 की खसरा संख्या 332 की 15.09 बीघा, खसरा संख्या 658 की 14.13 बीघा कुल 2 किता की 30.02 बीघा आराजी स्थित है जो वादी एवं प्रति वादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2071 – 2074 प्रस्तुत है जो वाद का एक अंग है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 06.06.2016 से वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर ग्राम मालनवासा की जमाबंदी सं. 2071–74 की खाता सं0 136 की 2 किता रकबा 30.02 बीघा आराजी में वादी का जमाबंदी में दर्ज हिस्से का विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने की आज्ञा पारित की गयी। तहसीलदार, खानपुर को पक्षकारान में सहमति बनाकर आराजी में आने जाने के रास्ते का प्रावधान करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार करने और यदि पक्षकारान में सहमति नहीं बन पाती है तो राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु आदेशित किया गया। खर्चा फरकेन अपना अपना वहन करेंगे। साथ ही आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा

4 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय एवं अंतिम डिक्री 06.06.016 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर मालनवासा की जमाबंदी सं. 2071–74 की खाता सं. 136 की 2 किता रकबा 30.02 बीघा आराजी में से वादी के हिस्से का विभाजन निम्न प्रकार किया जाकर आराजी पृथक खाते दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित की गयी।

5 वादी श्री रामकरण पुत्र रामलाल, जाति गुर्जर, निवासी मालनवासा, तह0 खानपुर के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी –

क.सं.	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा)	दिशा
1	मालनवासा	332	2.11	दक्षिण
2	मालनवासा	658	2.10	पूर्व
कुल योग		2 किता	5.01	–

शेष आराजी यथावत रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। पृथक लगान कायम किया जावे। आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। वादी निर्धारित नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेश करें, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की।

6 अपील संख्या 98/2021 में अपीलांट ने कथन किया कि निर्णय व डिक्री जैर अपील न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति जवाब दावे के माध्यम से अपीलांट्स व अन्य रेस्पोडेन्ट प्रस्तुत करते परंतु अपीलांट्स का जवाब दावा प्रस्तुत हुये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है तथा इस आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2016 निरस्त किये जाने योग्य है। वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्ट क्रम–1/वादी लगभग 50 वर्ष पूर्व जब उसकी उम्र 10 से 12 वर्ष थी, भूली बाई पत्नी स्व० गणेशराम, जाति धाकड़, निवासी ग्राम मालनवासा, जिला झालावाड़ के यहां गोद चला गया था । चूंकि स्व० भूली बाई के कोई संतान नहीं थी और उसने रेस्पोडेन्ट क्रम–1 को गोद ले लिया था और स्व० भूली बाई के स्वर्गवास के बाद उसकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 885 की रकबा 0.0162 हैक्टर, खसरा नम्बर 934 की

रकबा 0.6232 हैक्टर, खसरा नम्बर 935 की रकबा 0.5504 हैक्टर, खसरा नम्बर 936 की रकबा 0.0728 हैक्टर कुल 4 किता की रकबा 1.2626 हैक्टर वाके ग्राम मालनवासा, जिला झालावाड़ की भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम–1 के नाम बहैसियत दत्तक पुत्र राजस्व रिकॉर्ड में आज से लगभग चार वर्ष पूर्व दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई है जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 संलग्न है, जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट क्रम–1 स्वर्गीय भूली बाई के यहां गोद चला गया था और उसके सम्पूर्ण हक व अधिकार वाद वर्णित भूमि में समाप्त हो गये थे अर्थात् रेस्पोडेन्ट क्रम–1 जो कि हक अधिकार अपने प्राकृतिक माता–पिता स्व० रामलाल जी के यहां पर उत्पन्न हुये थे वह सम्पूर्ण हक अधिकार 50 वर्ष पूर्व भूली बाई के गोद चले जाने के बाद से ही समाप्त हो गये थे। इन सम्पूर्ण तथ्यों का समावेश करते हुये जवाब माननीय न्यायालय में अपीलांट पेश करते और उस पर तनकीयात कायम होकर बाद साक्ष्य निर्णय होता, परंतु उसके पूर्व ही मनमर्जी पूर्वक अपीलांट्स को सुने बिना ही निर्णय व डिक्री पारित फरमा दी गई, जो प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी स्थिति तथ्य व दस्तावेजात को पूर्णतया नजरअंदाज कर ज्यूडिशियल माईण्ड एप्लाई किये बिना ही पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर प्रारम्भिक डिक्री पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। वादग्रस्त आराजी पर गत 50 वर्ष से आज तक लगातार वास्तविक व भौतिक रूप से अपीलांट ही भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है, परंतु अब उपरोक्त आलोच्य निर्णय व डिक्री की आड़ में रेस्पोडेन्ट क्रम– 1, अपीलांट्स के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने तथा अपीलांट्स के हिस्से वाली भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी दिनांक 28.06.2021 को दी है और अपीलाट क्रम–1 ने कहा कि उसके पक्ष में न्यायालय से निर्णय हो चुका है और वह अब अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा करेगा। इस प्रकार अपीलाट्स के हक अधिकार व कब्जे काश्त वाली उक्त आराजी के सम्बंध में रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में अपीलांट के विधिक हक अधिकारों के विरूद्ध कोई भी निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जा सकती और ना ही अपीलांट्स को उसके विधिक हक हिस्से से वंचित किया जा सकता है, किंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ज्यूडिशियल माईण्ड एप्लाई किये बिना ही पूर्णतया मनमाने तौर पर उक्त निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। कानूनन लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है. जिनमें जो राजीनामा द्वारा निस्तारण किये जाने योग्य है। प्रस्तुत वाद में अधीनस्थ न्यायालय के यहां कोई भी राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ था, किंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना व प्रक्रिया के विपरीत जाकर मनमर्जी रूप से ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। लोक अदालत में पत्रावली रखे जाने से पूर्व पक्षकारों को जरिये नोटिस सूचित किया जाना और उन्हें सुना जाना कानूनन आवश्यक व आज्ञापक है, किंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व अपीलांट को न तो कोई नोटिस जारी किया और ना ही सूचना व सुनवाई का कोई अवसर दिया और फिर पूर्णतया मनमर्जी व एक तरफा रूप से पूर्णतया गैर कानूनी रूप से उक्त निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि उक्त पत्रावली अभी जवाब दावे में ही नियत थी उक्त पत्रावली में न तो कोई तनकीयात कायम हुई थी और ना ही किसी प्रकार की साक्ष्य हुई थी, जिसके कारण उक्त पत्रावली का निस्तारण लोक अदालत से गुणावगुण पर नहीं किया जा सकता, किंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानून व प्रक्रिया की घोर अवहेलना कर मनमर्जी रूप से ही निर्णय व डिक्री पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। कानूनन किसी भी दावे का निस्तारण वादी व प्रतिवादी के जवाब दावे व साक्ष्य के पश्चात् पक्षकारान के मध्य रियल कंट्रोवर्सी का अन्वेक्षण करते हुये ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अभी अपनी प्रतिरक्षा भी प्रस्तुत नहीं की गई थी, किंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ज्यूडिशियल माईण्ड एप्लाई किये बिना ही कानून व प्रक्रिया को ताक पर रखकर बिना किसी जवाब दावे व साक्ष्य तथा बिना किसी अन्वेक्षण के ही रेस्पोडेन्ट के वाद को स्वीकार कर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर दिया, जो कानून के सर्वथा विपरीत होने व पूर्णतया मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7 अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2016 को निरस्त फरमाया जाये साथ ही अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जाये।

8 अपील संख्या 97/2021 में अपीलांट ने कथन किया कि अंतिम निर्णय व डिक्री जैर अपील न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। सर्वप्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.06.2016 कानून के विरूद्ध है, लोक अदालत के सिद्धांतों के विरूद्ध है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक हिस्सा व अधिकार से ज्यादा हक हिस्सा प्रदान करते हुये पारित की गई है जिसके विरुद्ध अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है और उपरोक्त प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर पारित फरमायी गई अंतिम डिक्री दिनांक 31.05.2017 भी त्रुटि पूर्ण व कानून के विरूद्ध है और विभाजन नियम 18 से 21 के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9 अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति प्रतिवादी क्रम–5 उदी बाई के विरूद्ध भी निर्णय व डिक्री पारित की है। चूंकि उदी बाई का स्वर्गवास दिनांक 17.04.2017 को हो चुका था और अंतिम डिक्री दिनांक 31.05.2017 को पारित की गई है। इस प्रकार मृत व्यक्ति के विरूद्ध अंतिम डिक्री प्रारम्भ से ही नलटी है, और शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

10 अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिकी दिनांक 31.05.2017 को निरस्त फरमाया जाये।

11 दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.07.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

12 दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

13 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

14 बहस अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी गई, अभिभाषक रेस्पोडेंट नम्बर 1 द्वारा दिनांक 11.09.2023 को बहस हेतु समय चाहा गया। न्यायहित में समय देते हुए बहस हेतु पत्रावली में दिनांक 26.09.2023 नियत की गई। दिनांक 26.09.2023 को रेस्पोडेंट नम्बर 1 के अनुपस्थित रहने पर पुनः न्यायहित में बहस हेतु अवसर देते हुए पत्रावली में बहस हेतु दिनांक 09.10.2023 नियत की गई। बहस हेतु नियत दिनांक 09.10.2023 को भी अभिभाषक रेस्पोडेंट के अनुपस्थित रहने पर बहस अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील संख्या 2021/98 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 06.06.2016 के विरूद्ध पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक

06.06.2016 प्रशासन आपके द्वार कैम्प मालनवासा में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये बिना व उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा रूप से जारी की गई है। पत्रावली में वास्ते जवाब तारीख पेशी दिनांक 17.05.2016 नियत थी पर उसके पूर्व ही अपीलांट व उनके अधिवक्ता को सूचित किये बिना ही बीच में ही पत्रावली दिनांक 02.05.2016 को निकालकर दिनांक 06.06.2016 कैम्प मालनवासा में रखते हुए बिना अपीलांट की उपस्थिति व सहमति के निर्णय पारित कर दिया। इस क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 17.05.2016 को नियत थी उसके पूर्व ही पक्षकारान को सूचना दिये बिना ही पत्रावली दिनांक 02.05.2016 को न्यायालय में पेश हुई, जिस पर यह सील अंकित है कि वकील फरीकेन उपस्थित है। पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु दिनांक 06.06.2016 को अटल सेवा केन्द्र मालनवासा पर पेश हो। कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने हेतु वादी रेस्पोडेंट नं. 1 व प्रतिवादी अपीलांट नं. 3 के नाम दिनांक 02.05.2016 को नोटिस जारी किये गये जिनकी एक प्रति पत्रावली में सलंग्न है, परन्तु इन नोटिस की तामील उभयपक्षकारान पर कैसे करवायी गई, नोटिस तामील हुए या नहीं इस क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका कैम्प कोर्ट दिनांक 06.06.2016 पर पक्षकारान की उपस्थिति या अनुपस्थिति के क्रम में कोई कथन अंकित नहीं किया गया है। साथ ही उपस्थिति के क्रम में पक्षकारान के हस्ताक्षर भी नहीं करवाए गए हैं। वादग्रस्त आराजी के बंटवारे हेतु कोई समझौता या सहमति पत्र भी पक्षकारान द्वारा पेश नहीं किया गया। उक्त सभी तथ्य विधिक रूप से लोक अदालत की भावना के विपरीत है। साथ ही अपीलांट का यह कथन कि वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगभग 50 वर्ष पूर्व जब उसकी उम्र 10 से 12 वर्ष थी, भूलीबाई पत्नी स्वर्गीय गणेशराम, जाति धाकड़, निवासी ग्राम मालनवासा, जिला झालावाड़ के यहां गोद चला गया था। हम इस बिन्दु का परीक्षण होना न्यायहित में आवश्यक मानते हैं। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाता तो यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आता, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही उभयपक्ष की अनुपस्थिति में ही कैम्प कोर्ट में दिनांक 06.06.2016 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.06.2016 वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

15 वैधानिक प्रावधानों के विपरीत पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.06.2016 की पालना में पारित अंतिम डिक्री को भी विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। अतः न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 31.05.2017 को भी अपास्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

16 उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2021/98 एवं 2021/97 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.06.2016 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 31.05.2017 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर तनकीवार विश्लेषण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी करें। तत्पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार खानपुर से बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर पुनः प्रकरण में विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री जारी करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर में दिनांक 28.12.2023 को उपस्थित होवे।

17 निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/10/23

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा